

राज्य में वायुयानों के **(MRO) Maintenance, Repair and Overhaul** सुविधाओं के विकास हेतु निर्धारित नीति के तहत दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का निर्धारण
इस नीति का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की तिथि 31 दिसम्बर, 2024 से बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2025 की गई

लखनऊ : 10 जुलाई, 2025

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वायुयानों के **Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)** सुविधाओं के विकास को लेकर एक अहम कदम उठाते हुए दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया (**Guidelines and Implementation Procedures**) पर राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की ओर 30 जून 2025 को निदेशक नागरिक उड्डयन को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गये हैं। निर्धारित नीति के अंतर्गत **Capital Investment** करने वाली संस्थाओं की सुविधा हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

यह निर्णय नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें राज्य में **MRO** सेक्टर में **Capital Investment** करने वाली संस्थाओं को सुविधाएं देने के उद्देश्य से दिशा-निर्देशों का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था। उक्त मसौदे को शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में **MRO** गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, निजी निवेश को आकर्षित करना एवं उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में एक अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित करना है।

इससे पूर्व, शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 के माध्यम से **MRO** नीति घोषित की गई थी तथा दिनांक 24 जनवरी, 2024 को "**MRO Capital Investment Subsidy Request Form**" को भी अनुमोदन प्रदान किया गया था। राज्य सरकार ने उद्यमियों की सुविधा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को भी 31 दिसम्बर, 2024 से बढ़ाकर अब 31 दिसम्बर, 2026 कर दिया है।

राज्य सरकार की इस पहल से उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, तकनीकी दक्षता में सुधार होगा और एविएशन सेक्टर को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी।

सम्पर्क सूत्र— लाल कमल

राम यतन / 05:20 PM